बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-239037, Fax 07782-239037, www.bvvjdp.ac.in

क्र.34../ब.वि.वि./2013 जगदलपुर, दिनांक 08/01/2013

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर छत्तीसगढ़ के विद्या परिषद की स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक दिनांक 05.01.2013 के कार्यवृत्त :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः–

01.	प्रोफे. श्रीमती जयलक्ष्मी ठाकुर	–	अध्यक्ष
02.	प्रोफे. एस.के. श्रीवास्तव,	–	सदस्य
03.	प्रोफे. व्ही.के. श्रीवास्तव,	–	सदस्य
04.	फादर टी.जे. पॉल	–	सदस्य
05.	प्रोफे. सिद्धार्थ चौधरी, कुलसचिव	–	सचिव

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर (छ.ग.) के विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.01.2013 को संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गयाः–

विषय क्र. 01 प्रस्तावित किया जाता है कि विश्वविद्यालय दिनांक 23.02.2013 को अपना प्रथम दीक्षान्त समारोह आयोजित करेगा प्रावधानानुसार जिसकी अध्यक्षता माननीय कुलाधिपति करेंगे । उनके सुझाव अनुसार इस कार्यक्रम में प्रोफेसर एस.के. ब्रम्हचारी, सचिव, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार मुख्य अतिथि तथा माननीय डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, अति विशिष्ठ अतिथि, विभागीय मंत्री माननीय श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री, छ.ग. शासन एवं बस्तर संभाग के मंत्री त्रय श्री केदार कश्यप, श्री विक्रम उसेन्डी, सुश्री लता उसेन्डी, सांसद, बस्तर श्री दिनेश कश्यप एवं सांसद, कांकेर तथा स्थानीय विधायक, जगदलपुर श्री संतोष बाफना विशिष्ठ अतिथि होंगे । इसके अतिरिक्त, माननीय अध्यक्ष की अनुमति से एक अन्य गणमान्य महानुभाव को विशिष्ठ अतिथि बनाया जाना प्रस्तावित है ।

o/c

निर्णयः– **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित तथा एक अन्य गणमान्य महानुभाव को विशिष्ट अतिथि बनाने हेतु माननीया राज्यपाल महोदय अथवा माननीया मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन से चर्चा एवं प्राप्त निर्देशानुसार नाम प्रस्तावित किया जावे। निर्णय सर्वसम्मति से पारित।**

विषय क्र. 02 प्रस्तावित आयोजन के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षा 2010,2011,2012 में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण समस्त (16398) छात्रों को उपाधियॉ दी जाना प्रस्तावित है ।

2.1 समारोह के दिन (23.02.2013) प्रत्येक अंतिम कक्षा में प्रावीण्यता प्राप्त कुल 64 छात्रों को उपाधि प्रमाण पत्र तथा इन्हीं छात्रों में से संकायवार सर्वोच्च अंक प्राप्त कुल 37 छात्रों को विश्वविद्यालय की ओर से स्वर्ण पदक प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त दानदाताओं द्वारा स्वर्ण पदक प्रदाय किये जाने वाले सम्यक/समुचित प्रस्तावों का अनुमोदन भी प्रस्तावित है ।

2.2 दिनांक 23.02.2013 के आयोजन के उपरान्त शेष 16334 छात्रों को डाक अथवा उनके परीक्षा केन्द्र के माध्यम से उपाधियॉ वितरित की जाना प्रस्तावित है ।

निर्णयः– **2.1 प्रस्ताव सर्वसम्मति से मान्य किया गया। तथा निर्णय लिया गया कि दानदाताओं द्वारा स्वर्ण पदक प्रदाय किये जाने के संबंध में समाचार पत्रों में समय निर्धारित कर दी जावे ताकि समय पर सभी कार्य पूर्ण हो सकें।**

2.2 के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शेष 16334 छात्र/छात्राओं को उनके परीक्षा केन्द्र के माध्यम से उपाधि प्रमाण पत्र वितरीत किये जावे, इस हेतु नियमानुसार पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित केन्द्र को देय होगा।

विषय क्र. 03 उपाधि प्रमाण पत्र एवं उनके लिफाफे खुली निविदा प्रक्रिया के अधीन छपवाये जायेंगे । इन प्रमाण पत्रों की कागजी गुणवत्ता छत्तीसगढ़ के अन्य राज्य विश्वविद्यालयों, विशेषकर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अनुसार होगी तथा डिजाइन और वर्ण एवं रंग संयोजन के निर्णय के विषय में माननीय कुलपति की अध्यक्षता में कुलसचिव, उपकुलसचिव, लेखाधिकारी तथा विशेषकर्तव्यस्थ अधिकारी दीक्षांत समारोह 2013 की समिति को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है ।

निर्णयः– **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित।**

विषय क्र. 04 विश्वविद्यालय द्वारा 20 ग्राम शुद्ध चॉदी (1.25 व्यास हुक के साथ) का स्वर्ण मंडित गोल्ड मेडल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है । इस मेडल में एक ओर विश्वविद्यालय का मोनो तथा दूसरी ओर छात्र का नाम और उपाधि तथा वर्ष का विवरण अंकित किया जाना प्रस्तावित है । गोल्ड मेडल हेतु नियमानुसार भाव–पत्र/खुली निविदा आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है ।

निर्णयः– नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित।

विषय क्र. 05 राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की तरह दीक्षान्त समारोह के दौरान उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र एवं सम्मानित अतिथिगण एवं अन्य गणमान्य जो गाउन, धारण करेंगे, उसे नियमानुसार किराया पर भाव–पत्र अथवा खुली निविदा के आधार पर उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है ।

निर्णयः– **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि बस्तर विश्वविद्यालय में प्रथम बार दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इसलिये जो प्रथा में चल रहा है उसी के अनुरूप गाउन का निर्धारण किया जावे। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित।**

विषय क्र. 06 आयोजन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर की साफ–सफाई घास उन्मूलन तथा भवन के रंग–रोगन हेतु नियमानुसार भाव–पत्र/खुली निविदा के माध्यम से कार्य निष्पादन प्रस्तावित है ।

निर्णयः– **नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित।**

विषय क्र.7 प्रस्ताव की कंडिका 1 एवं 2 में उल्लिखित छात्रों और अतिथिगणों के अतिरिक्त सीमित संख्या में अन्य गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जाना तथा मीडिया कर्मियों को बुलाया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये समुचित निमंत्रण पत्र की व्यवस्था विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के प्राध्यापकों एवं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों की समिति को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है । निमंत्रण पत्र की छपाई तथा उसकी स्क्रिप्ट एवं रंग संयोजन इत्यादि का निर्णय यही समिति करेगी । निमंत्रण पत्र तैयार करने का कार्य नियमानुसार भाव–पत्र/खुली निविदा के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है ।

निर्णयः– **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मान्य किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह हेतु मुद्रित आमंत्रण पत्र में बस्तर के लोक कला, संस्कृति, भीत्तिचित्र आदि का समावेश हो।**

विषय क्र.8. आयोजन दिवस में पंडाल एवं अन्य बैठक व्यवस्था के संबंध में माननीय कुलपति के संरक्षकत्व में तथा कुलसचिव की अध्यक्षता में उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव, लेखाधिकारी एवं विशेषकर्तव्यस्थ अधिकारी की समिति अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में स्थापित परंपरा अनुसार निर्णय लेने के लिए अधिकृत किये जाये तथा वे, नियमानुसार भाव–पत्र/खुली निविदा के माध्यम से पंडाल इत्यादित की व्यवस्था के लिए अधिकृत किये जाये, प्रस्तावित है ।

निर्णयः– **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मान्य किया गया। तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समारोह हेतु पण्डाल आदि की व्यवस्था पूर्व कार्यक्रमों की भांति डोम (गुम्बद) आकार का तैयार कराया जावे।**

विषय क्र.9. आयोजन दिवस में अतिथिगणों तथा अन्य आमंत्रितों और छात्रों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए नियमानुसार विश्वविद्यालयीन स्टाफ की समिति अधिकृत की जाये तथा यही समिति कैटरिंग इत्यादि की व्यवस्था, नियमानुसार भाव–पत्र/खुली निविदा के माध्यम से करने हेतु अधिकृत की जाये ।

निर्णयः– **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दीक्षांत समारोह के दौरान भोजन की व्यवस्था नहीं किया जावे केवल स्वल्पाहार की व्यवस्था की जावे। अतिविशिष्ट अतिथियों के लिये हाई–टी, अन्य अतिथियों एवं गोल्ड मेडल प्राप्तकर्ता छात्र/छात्राओं हेतु स्वल्पाहार की व्यवस्था की जावे।**

विषय क्र.10. अतिथिगण यात्रा देयक तथा मोमेन्टो (स्मृति चिन्ह) आदि के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों की समिति को अधिकृत किया जाये जो कि नियमानुसार यात्रा देयक पारित करना तथा मोमेन्टो डिजाइन सुनिश्चय करें एवं नियमानुसार भाव–पत्र /खुली निविदा के माध्यम से मोमेन्टो क्रय करने का कार्य करने हेतु अधिकृत किये जावें।

निर्णयः– **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मान्य किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अति विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, तथा मंत्रीगणों को स्मृति चिन्ह अलग–अलग प्रकार के भेंट किये जावें। ग्लास के फ्रेम बनवाकर स्मृति चिह्न देने का भी सुझाव दिया गया।**

विषय क्र.11 आयोजन दिवस में विद्युत एवं माइक इत्यादि की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारीगण नियमानुसार भाव–पत्र अथवा खुली निविदा के माध्यम से करने के लिए अधिकृत किये जावे, प्रस्तावित है ।

निर्णयः– **नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित।**

विषय क्र.12. आयोजन दिवस में विश्वविद्यालय के मोनो डिजाइन करने वाले तथा कुलगीत लिखने वाले को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो. एस.के. ब्रम्हचारी को विश्वविद्यालय की ओर से मानद डी.एससी. उपाधि प्रदान किया जाना प्रस्तावित है ।

निर्णयः– **प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। मानद उपाधि के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय राज्यपाल महोदय से चर्चा उपरांत ही अंतिम निर्णय लिया जाये।**

विषय क्र.13. इस प्रस्ताव पत्र की कंडिका 1 से 12 तक आने वाले समस्त व्यय का अनुमानित विवरण संलग्न बजट प्रस्ताव के अनुसार राशि रू. 50,71,000/– (अक्षरी पचास लाख इकहत्तर हजार मात्र) अनुमोदित किया जाना प्रस्तावित है ।

निर्णयः– **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मान्य किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दीक्षांत समारोह में यदि अतिरिक्त व्यय होता है तो वह विश्वविद्यालय के परीक्षा मद से व्यय किया जावेगा।**

विषय क्र.14. ज्ञातव्य है कि बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा अपनी स्थापना के समय से ही पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के विनियम (रेगुलेशन्स) यथावत स्वीकार किये है किन्तु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रावीण्यता प्राप्त छात्रों को उनके दान दाताओं द्वारा प्रदाय किये जाने वाले स्वर्ण पदको का बस्तर विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं है । अतः बस्तर विश्वविद्यालय के विनियम में से उक्त स्वर्ण पदक प्रदाताओं संबंधी समस्त विनियम विलोपित किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है । बस्तर विश्वविद्यालय के प्रावीण्यता प्राप्त एवं अर्हता प्राप्त छात्रों को दान दाताओं द्वारा स्वर्ण पदक प्रदाय किये जाने के यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त हो तो उन्हें विश्वविद्यालय के विनियम में सम्मिलित किये जाने प्रस्ताव किया जाता है ।

निर्णयः– **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से मान्य किया गया।**

विषय क्र 16. दीक्षान्त समारोह सत्र 2013 के विषय में आकस्मिकता वश लिये जाने वाले निर्णयों हेतु माननीय कुलपति अंतिम रूप से निर्णायक एवं अधिकृत की जावे, प्रस्तावित ।

निर्णयः– **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से मान्य किया गया।**

विषय क्र 17. समाजशास्त्र अध्ययन मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव स्थायी समिति के अनुमोदनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णयः– **उक्त संबंध में निर्णय लिया गया कि एम.ए. पूर्व (नियमित) में पांचों प्रश्न पत्र थ्योरी रखा जावे तथा एम.ए. अंतिम (नियमित) हेतु पंचम प्रश्न पत्र के रूप में आनुभाविक शोध प्रतिवेदन/लघुशोध प्रबंध ऑपशनल रखा जावे। एम.ए. पूर्व (नियमित) में जिन छात्रों ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये होंगे वे ही एम.ए. अंतिम वर्ष (नियमित) में ऐच्छिक पंचम प्रश्न पत्र ले सकेंगे।**

विषय क्र 18. समाज कार्य अध्ययनशाला द्वारा क्षेत्र अध्ययन कार्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तय नियमों का संदर्भ देते हुए कुछ अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा किये जा रहे क्षेत्र अध्ययन कार्य विवरण अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से मान्य किया गया तथा निर्णय लिया गया कि सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए आंचलिक क्षेत्रों पर फील्ड वर्क करें तथा विशेष अनुमति के उपरांत ही बाहर जाकर फील्ड वर्क करें। तथा इस संबंध में संबंधित विभाग से विस्तृत कार्य योजना वित्त के संबंध में मंगा ली जावे।**

माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा ।

विषय क्र 19 एम.एस.–सी. भौतिक के पाठ्यक्रम में तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर हेतु शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर का पाठ्यक्रम स्वीकार किये जाने के संबंध में।

निर्णयः – **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से मान्य किया गया।**

विषय क्र 20 वार्षिक परीक्षा 2013 हेतु परीक्षा परिणाम समितियों का अनुमोदन।

निर्णयः – **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से मान्य किया गया।**

विषय क्र 21 बी.एस.–सी. स्वाध्यायी (प्रायवेट) छात्रों का पंजीयन अनिवार्य करने के संबंध में।

विभागीय टीप– विभिन्न महाविद्यालयों से सभी संकाय में बी.एस–सी. में प्राईवेट छात्र फार्म जमा करते हैं। प्राईवेट परीक्षार्थी के लिये प्रायोगिक कार्य के लिये महाविद्यालय में अस्थायी प्रवेश (Casual Admission) आवश्यक है ताकि निर्धारित न्यूनतम प्रायोगिक कार्य छात्र करें। अतः बी.एस.–सी. में सम्मिलित होने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय में 31 अगस्त तक पंजीयन कराना अनिवार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः – **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से मान्य किया गया तथा निर्णय लिया गया कि बी.एस–सी. स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को महाविद्यालय में पंजीयन की अंतिम तिथि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 30 सितम्बर तक होगी।**

(S) 8/10/13

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर (छ.ग.)